

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का बनाम


प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/35/22

निर्णय दिनांक :- 14/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रानीवा की आ.ख.न. 125 कुल रकबा 0.68 किस्म जमीन फैलाऊ में से 0.05 रकबे पर श्री समन स/0 कठुपे जार पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का उरुडा द्वारा दिनांक 6/5/20 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दरौडा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी समन स/0 कठुपे जाति जार निवासी रानीवा को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 125 रकबा 0.68 में से 0.05 रकबे किस्म फैलाऊ पर कठुपे है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायत को अतिक्रमित रकबे से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 92 paise का 50 गुणा 46/- रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी उरुडा भू.अ.निरी. दरौडा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार कठूमर (अलवर)
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)